झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

पंचम् (बजट) सत्र

वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 25 फाल्गुन, 1942 (श0) / 16 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
"क"	141–अ0सू0–07	श्री बिरंची नारायण,	बालू घाटों की बंदोबस्ती	खान एवं भूतत्व	17.02.2021
"ख"	142–अ0सू0–55	श्री राज सिन्हा,	वेतन विसंगति दूर करना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	03.03.2021
"ग"	145–अ0सू0–29	डॉ0 सरफराज अहमद,	मानदेय में वृद्धि	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.2021

नोट :– "क"– 141, दिनांक–09.03.2021 को सदन द्वारा दिनांक–16.03.2021 के लिए स्थगित।
"ख"– 142, दिनांक–09.03.2021 को सदन द्वारा दिनांक–16.03.2021 के लिए स्थगित।
"ग"– 145, दिनांक–09.03.2021 को सदन द्वारा दिनांक–16.03.2021 के लिए स्थगित।

रांची,
दिनांक–16 मार्च,2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–ज्ञा0वि0स0 प्रश्न–03/2020– 1306 /वि0स0,रांची,दिनांक– 13/3/21

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्य—ज्ञा0वि0स0 प्रश्न–03/2020–1306 /वि0स0,रांची,दिनांक-13/3/21

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अनिल कुमार सिंह 13/3/21
(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– –ज्ञा0वि0स0 प्रश्न–03/2020–1306 /वि0स0,रांची,दिनांक-13/3/21

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनिल कुमार सिंह 13/3/21
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

राय/

13/03/2021

सत्यमेव जयते

पंचम

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा

पंचम् (बजट) सत्र

वर्ग–2

मंगलवार,दिनांक---------- 25 फाल्गुन,1942 (श0)
16 मार्च,2021 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या–03 (तीन)

1 – खान एवं भूतत्व विभाग	–	–	01
2 – उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	–	–	01
3 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	–	–	01

कुल योग– 03

श्री बिरंची नारायण, स० वि० स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–07

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क०सं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि विगत 1 वर्ष से झारखण्ड में बालू घाटों की बंदोबस्ती/निलामी संपन्न नहीं हुई है, जिससे सरकार को करोड़ों रूपये के राजस्व की हानि हो रही है;	अत्तर अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2017 से **Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017** लागू है, उसमें बन्दोबस्ती/नीलामी का प्रावधान नहीं है। वर्ष 2018–19 में 140.47 लाख, वर्ष 2019–20 में 175.67 लाख एवं वर्ष 2020–21 में (फरवरी, 21 तक) 856.30 लाख रूपये बालू से प्राप्त हुए है। राजस्व के तुलानात्मक विवरणी से स्पष्ट है कि वर्तमान वर्ष 2020–21 में गत वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 700 लाख रूपये अधिक राजस्व की वसूली हुई है।
2-	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में बालू के अवैध खनन, परिवहन और व्यापार पर तत्काल रोक लगाने और वर्षो से खनन् कार्यालयों में जमे खान निरीक्षकों एवं छोटे स्तर के कर्मियों के स्थानांतरण एवं झारखण्ड के सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती/निलामी की कार्रवाई हेतु मेरे द्वारा सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को प्रेषित पत्रांक–168/बी०एन/2021, दिनांक–21.01.2021 पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए जिलास्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्कफोर्स गठित है, जिसके द्वारा समय–समय पर कार्रवाई की जाती है। विभिन्न जिलों में पदस्थापित खान निरीक्षकों एवं कनीय कर्मियों का स्थानान्तरण नियमित रूप से किया जाता है। भवदीय द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में आवश्यक दिशा–निदेश दे दिया गया है।
3-	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में कुछ लोगों को विभाग द्वारा बालू के भंडारण का परमिशन दिया गया है और इनके द्वारा पड़ोसी राज्यों से बालू का खनन् एवं परिवहन करके बालू का भंडारण करने की बात विभाग को बताई जा रही है, लेकिन इस संदर्भ में जितना बालू उनके स्टॉक में जमा है, उतना का पड़ोसी राज्यों द्वारा निर्गत माइनिंग चालान की कॉपी खनन् कार्यालय में अब तक जमा नहीं की गई है;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक। खनिज के भंडारण, विक्रय एवं प्रेषण हेतु **JIMMS** पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन का निस्तारण जिला खनन कार्यालय के स्तर से किया जाता है। धनबाद जिले में पड़ोसी राज्य से लाए गए बालू के भंडारण का स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में बोकारो सहित राज्यभर में स्थित बालू घाटों की बंदोबस्ती/निलामी करवाने एवं विगत 1 वर्ष में जो पदाधिकारी और व्यक्ति बालू के अवैध कारोबार में संलिप्त रहे है, उन पर समुचित कार्रवाई करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ०सू०)–06/2021 654 /एम0, राँची, दिनांक– 08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–51 दिनांक–17.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(142)

590
15/03/2021

श्री राज सिन्हा, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–55

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–15/2006 के मेधासूची से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश 1465, रांची दिनांक 14.05.2009 तथा आदेश–2998, दिनांक 28.11.2013 के द्वारा राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में पदस्थापित प्रधानाध्यापकों का वेतन पर्ची महालेखाकार कार्यालय से निर्गत हो रहा है एवं इनका वेतनमान–15600–39100, ग्रेड पे0 5400 (*Level-10*) है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली, 2004 (यथासंशोधित नियमावली, 2008) एवं जे0पी0एस0सी0 की अनुशंसा के आलोक में राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में – (*i*) निदेशालयीय पत्रांक 1465 दिनांक 14.05.2009 के द्वारा 75 प्रधानाध्यापकों को रु0 7500–12000 (अपुनरीक्षित) वेतनमान् में तथा पत्रांक 2998 दिनांक 28.11.2013 के द्वारा 01 प्रधानाध्यापक को रु0 15600–39100 + ग्रेड पे. 5400 (पुनरीक्षित) वेतनमान् में सीधी नियुक्ति की गयी थी, (*ii*) प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय का पंचम अपुनरीक्षित वेतनमान् रु0 7500–12000 का प्रतिस्थानी उत्क्रमित, षष्ठ पुनरीक्षित वेतनमान् रु0 9300–34800 + ग्रेड पे. रु0 5400 (*Level-09*) अनुमान्य है, जिसके संबंध में विभागीय पत्रांक 4553 दिनांक 05.12.2018 द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, रांची सहित सभी संबंधितों को सूचित भी किया गया है, (*iii*) परन्तु इन 76 प्रधानाध्यापकों को रु0 15600 –39100 + ग्रेड पे. 5400 (*Level-10*) वेतनमान् में वेतन पुर्जा निर्गत किये जाने की सूचना महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रेषित करते हुए इस संबंध में विभागीय निर्णय उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से वर्ष–2018 एवं उसके उपरान्त अनुरोध किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विज्ञापन संख्या मेधासूची से आदेश–2405, दिनांक 26.12.2016 एवं 2039 दिनांक 17.07.2018 के द्वारा पदस्थापित प्रधानाध्यापकों का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे0 5400 (*Level-10*) निर्धारित किया गया, जिस कारण से महालेखाकार के द्वारा इन लोगों का वेतन पर्ची निर्गत नहीं किया गया;	आंशिक स्वीकारात्मक। निदेशालयीय आदेश ज्ञापांक 2405 दिनांक 26.12.2016 एवं ज्ञापांक 2039 दिनांक 17.07.2018 द्वारा क्रमशः 01 एवं 13 प्रधानाध्यापकों को वेतनमान् रु0 9300–34800 + ग्रेड पे0 5400 (*Level-09*) में सीधी नियुक्ति की गयी है। संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा योजना–सह–वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को वेतन पर्ची हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित किये जाने का प्रावधान है। **उपर्युक्त 13 में से 01 नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, श्री दिवाकर दूबे, रेल श्रमिक उच्च विद्यालय, पतरातू, रामगढ़ का नाम भी सम्मिलित है, जिन्हें योजना–सह–वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के पत्रांक 416/दा.को. दिनांक 05.03.2021 द्वारा प्रभार ग्रहण की तिथि दिनांक 23.08.2018 से अद्यतन तिथि तक वेतन पर्ची निर्गत की गयी है।**
3	क्या यह बात सही है कि एक विज्ञापन एक परीक्षा एवं समान मेधासूची से नियुक्त अभ्यर्थियों का वेतनमान समान होता है किन्तु विभाग के द्वारा उत्पन्न इस वेतन विसंगति के कारण कंडिका–02 में वर्णित आदेश के तहत् नियुक्त प्रधानाध्यापकों को	आंशिक स्वीकारात्मक। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1327 दिनांक 14.08.2020 तथा 1425 दिनांक 08.09.2020 द्वारा नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के वेतन के संबंध में पृच्छा के आलोक में महालेखाकार कार्यालय झारखण्ड, राँची के पत्रांक 529 दिनांक 21.09.2020 द्वारा सूचित किया गया कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–15/2006 के आलोक में नियुक्त प्रधानाध्यापकों को उनके कार्यालय द्वारा न्यूनतम ग्रेड पे 5400/–

	आज तक वेतन नहीं मिला है,	एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–660 दिनांक 28.02.2009 (षष्ठ वेतनमान) के अनुसूची III के उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, खण्ड पृष्ठ–93 के क्रम संख्या 308 पर दिये गये वेतनमान के आलोक में औपबंधिक वेतन पर्ची 01 वर्ष के लिये निर्गत की जाती है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा उपर्युक्त संबंध में जांच कर विभागीय निर्णय उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशालय से अनुरोध करते हुए वेतन पर्ची निर्गत नहीं की जा रही थी। वर्त्तमान में योजना–सह–वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा वेतन पर्ची निर्गत की जा रही है, जिसके आधार पर वेतन भुगतान अनुमान्य है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित वेतन विसंगति दूर कर शीघ्र भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015 में भी प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय का वेतनमान् 9300–34800 + ग्रेड पे 5400 निर्धारित है। यह वेतन विसंगति का मामला नहीं है। योजना–सह–वित्त विभाग से, महालेखाकार कार्यालय झारखण्ड, राँची द्वारा नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को वेतनमान् रु0 9300–34800 + ग्रेड पे0 5400 (*Level-09*) के स्थान पर रु0 15600 –39100 + ग्रेड पे. 5400 (*Level-10*) वेतनमान् में वेतन पुर्जा निर्गत किये जाने आदि के संबंध में परामर्श की भी मांग की गयी है। वर्त्तमान में, योजना–सह–वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा निर्गत वेतन पर्ची के आधार पर वेतन भुगतान पर कोई भी रोक नहीं है।

15/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–65 / 2021 590 राँची, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

सरकार के उप सचिव।

(145)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

437
08.03.21

डॉ. सरफराज अहमद, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-29

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पारा शिक्षक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पारा शिक्षक लंबे समय से अत्यधिक कम मानदेय पर कार्यरत है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2002 में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयन किया गया था। तत्समय चयनित पारा शिक्षक को 1000/– रुपये मासिक मानदेय देय था। पारा शिक्षकों के मानदेय में लगातार वृद्धि होती रही है। पारा शिक्षकों के विभिन्न माँगों पर विचार करने हेतु उच्च स्तरीय कमिटि की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से निम्नवत् वृद्धि की गई है:– कोटि — वर्तमान में देय मासिक उपलब्धि (प्रतिमाह रु. में) **उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)** प्रशिक्षित एवं टेट उत्तीर्ण — 15000/– प्रशिक्षित — 13000/– **प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)** प्रशिक्षित एवं टेट उत्तीर्ण — 14000/– प्रशिक्षित — 12000/–
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा "पारा शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन" का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसमें पुनः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। उच्च स्तरीय समिति के अंतिम निर्णय एवं अनुमोदन के उपरांत "पारा शिक्षक सेवा शर्त विनियमन" लागू कर दी जाएगी।

8/3/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–40/2021....437../राँची, दिनांक ...08.03...2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 102, दिनांक 22.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2021
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा

पंचम (बजट)–सत्र

वर्ग– 02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक–25फाल्गुन,1942(श०) .....को 16 मार्च, 2021 (ई०) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे।

क्रमांक	विभागों को संसूचित की गई सं० सं०	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1–	2.	3.	4.	5.	6.
195.	अ0सू0–59	श्री दीपक बिरुवा	समान वेतनमान देना।	स्कू0शि0 एवं सा0	08.03.21
196.	अ0सू0–56	श्री अमर कुमार बाउरी	उच्चस्तरीय समिति बनाना।	उद्योग	03.03.21
197.	अ0सू0–59	श्री राज सिन्हा	अधिकारियों पर कार्रवाई।	पर्य0क0सं0 खे0एवं यु0का0	03.03.21
198.	अ0सू0–73	श्री सुदेश कुमार महतो	प्रमोशन देना।	उच्च0एवं तक0शि0	08.03.21
199.	अ0सू0–40	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	मानदेय व नौकरी देना।	उच्च0एवं तक0शि0	25.02.21
200.	अ0सू0–30	श्री विनोद कुमार सिंह	सुविधा में वृद्धि कराना।	स्कू0शि0 एवं सा0	22.02.21
201.	अ0सू0–58	श्रीमती ममता देवी	विषय को अनिवार्य बनाना।	स्कू0शि0 एवं सा0	03.03.21
202.	अ0सू0–22	श्री मनीष जायसवाल	रिक्त पदों पर नियुक्ति।	उच्च0एवं तक0शि0	22.02.21
203.	अ0सू0–79	श्री (प्रो0) स्टीफन मरांण्डी	मदरसा को विकसित करना।	स्कू0शि0 एवं सा0	12.03.21
204.	अ0सू0–63	श्री प्रदीप यादव	बहाली में प्राथमिकता देना।	स्कू0शि0 एवं सा0	04.03.21

1.	2.	3.	4.	5.	6.
205.	अ०सू०-60	श्री राज सिन्हा	सहायता कल्याण कोष बनाना।	पर्य०क०सं० खे०कू०एवं यु०का०	03.03.21
206.	अ०सू०-46	श्री सरयू राय	सुविधाएँ उपलब्ध कराना।	पर्य०क०सं० खे०कू०एवं यु०का०	25.02.21
207.	अ०सू०-62	श्री प्रदीप यादव	मानदेय का भुगतान।	स्कू०शि० एवं सा०	03.03.21
208.	अ०सू०-74	श्री उमाशंकर अकेला	अभ्यार्थियों की नियुक्ति	स्कू०शि० एवं सा०	08.03.21
209.	अ०सू०-48	सुश्री अम्बा प्रसाद	मुआवजा राशि का भुगतान।	वन०पर्या० एवं ज०परि०	27.02.21
210.	अ०सू०-18	श्री बंधु तिर्की	नियुक्ति अनुमोदित कराना।	स्कू०शि० एवं सा०	22.02.21
211.	अ०सू०-44	श्री सरयू राय	नीलामी प्रक्रिया अपनाना।	खान एवं भू०वि०	25.02.21
212.	अ०सू०-71	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	अनुशंसा सुनिश्चित कराना।	खान एवं भू०	08.03.21
213.	अ०सू०-75	श्री राजेश कच्छप	दोषियों पर कार्रवाई।	उद्योग	08.03.21

राँची
दिनांक- 16 मार्च, 2021 (ई०)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या- प्रश्न- 03/2020.....1310...../वि०स०, राँची, दिनांक- 15/03/2021

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ मा० संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश राम 15/3/21
(सुरेश राम)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या- प्रश्न- 03/2020.....1310...../वि०स०, राँची, दिनांक- 15/03/2021

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश राम 15/3/21
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या- प्रश्न- 03/2020.....1310...../वि०स०, राँची, दिनांक- 15/03/2021

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश राम 15/3/21
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

15/03/2021

(195)

575
15/03/2021

श्री दीपक बिरुवा, स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–59

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हेतु वर्ष–2007 में जे०पी०एस०सी० द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी थी;	स्वीकारात्मक। दिनांक 29.04.2007 को झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में वेतनमान रू० 7500–12000 में प्रधानाध्यापकों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं०–15/2006 प्रकाशित कर परीक्षा आयोजित की गयी थी।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कुल–93 सफल मेधासूची से मात्र 75 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया गया तथा शेष 18 अनुसूचित जनजाति के सफल अभ्यर्थियों को मेधासूची में होते हुये भी नियुक्ति से वंचित रखा गया था;	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जे०पी०एस०सी० के पत्रांक 255 दिनांक 22.02.2008 द्वारा कुल **257** अभ्यर्थियों की प्रथम औपबंधिक अनुशंसा सूची उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें औपबंधिक रूप से अनुशंसित अभ्यर्थियों की कोटिवार संख्या : अनारक्षित–**129**, अ०जा०जा० –**66**, अ०जा–**26** एवं अ०पि० वर्ग–**36** थी। निदेशालय द्वारा काउंसिलिंग में कई अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक एवं शिक्षण अनुभव अर्हता के त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण इस सूची को निदेशालयीय पत्रांक 1231 दिनांक 07.06.2008 द्वारा वापस कर दिया गया था। तत्पश्चात् जे०पी०एस०सी० के पत्रांक 03 दिनांक 28.01.2009 एवं पत्रांक 494 दिनांक 28.04.2009 के द्वारा क्रमशः **91** एवं **72** यानि कुल **163** अभ्यर्थियों : अनारक्षित–**123**, अ०ज०जा० –**07**, अ०जा–**17** एवं अ०पि० वर्ग–**16** की संशोधित अनुशंसा सूची उपलब्ध करायी गई। उक्त **163** अभ्यर्थियों की संशोधित अनुशंसा सूची से अद्यतन नियुक्त प्रधानाध्यापकों की कुल संख्या **94** : अनारक्षित–**83**, अ०ज०जा० –**05**, अ०जा–**03** एवं अ०पि० वर्ग–**03** है।
3	क्या यह बात सही है कि 18 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित करने के आलोक में झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय परिपत्र सं०–2039 दिनांक 17.07.2018 के तहत् नियुक्त किया;	अस्वीकारात्मक। विभागीय आदेश ज्ञापांक 2039 दिनांक 17.07.2018 के द्वारा कुल 13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रधानाध्यापक के पद पर माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न वादों में पारित आदेश से उद्भूत अवमाननावाद के क्रम में की गयी, जिसमें अनारक्षित–**08**, अ०ज०जा०–**03**, अ०जा–**00** एवं अ०पि० वर्ग– **02** के अभ्यर्थी शामिल हैं। ये सभी नियुक्त अभ्यर्थी संशोधित सूची के अभ्यर्थी हैं।
4	क्या यह बात सही है कि एक विज्ञापन, एक परीक्षा एवं समान मेधासूची से नियुक्त अभ्यर्थियों का वेतनमान समान होता है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली, 2004 (यथासंशोधित नियमावली, 2008) एवं जे०पी०एस०सी० की अनुशंसा के आलोक में राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में – (*i*) निदेशालयीय पत्रांक 1465 दिनांक 14.05.2009 के द्वारा 75 प्रधानाध्यापकों को रू० 7500–12000 (अपुनरीक्षित) वेतनमान् में तथा पत्रांक 2998 दिनांक 28.11.2013 के द्वारा 01 प्रधानाध्यापक को रू० 15600–39100 + ग्रेड पे. 5400 (पुनरीक्षित) वेतनमान् में सीधी नियुक्ति की गयी थी, (*ii*) इन 76 प्रधानाध्यापकों को रू० 15600 –39100 + ग्रेड पे. 5400 (*Level-10*) वेतनमान् में वेतन पुर्जा निर्गत किये जाने की सूचना महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रेषित करते हुए इस संबंध में विभागीय निर्णय उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से वर्ष–2018 एवं उसके उपरान्त अनुरोध किया गया, (*iii*) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1327 दिनांक

		14.08.2020 तथा 1425 दिनांक 08.09.2020 द्वारा नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के वेतन के संबंध में पृच्छा के आलोक में महालेखाकार कार्यालय झारखण्ड, राँची के पत्रांक 529 दिनांक 21.09.2020 द्वारा सूचित किया गया कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–15/2006 के आलोक में नियुक्त प्रधानाध्यापकों को उनके कार्यालय द्वारा न्यूनतम ग्रेड पे 5400/– एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–660 दिनांक 28.02.2009 (षष्ठ वेतनमान) के अनुसूची *III* के उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, खण्ड पृष्ठ–93 के क्रम संख्या 308 पर दिये गये वेतनमान के आलोक में औपबंधिक वेतन पर्ची 01 वर्ष के लिये निर्गत की जाती है, (*iv*) महालेखाकार कार्यालय द्वारा उपर्युक्त संबंध में जांच कर विभागीय निर्णय उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशालय से अनुरोध करते हुए वेतन पर्ची निर्गत नहीं की जा रही थी, (*v*) प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय का पंचम अपुनरीक्षित वेतनमान रु0 7500–12000 का प्रतिस्थानी उत्क्रमित, षष्ठ पुनरीक्षित वेतनमान रु0 9300–34800 + ग्रेड पे. रु0 5400 (*Level-09*) अनुमान्य है, जिसके संबंध में विभागीय पत्रांक 4553 दिनांक 05.12.2018 द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची सहित सभी संबंधितों को सूचित भी किया गया है, (*vi*) झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015 में भी प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय का वेतनमान 9300–34800 + ग्रेड पे 5400 निर्धारित है। यह वेतन विसंगति का मामला नहीं है। वर्त्तमान में योजना–सह–वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा वेतन पर्ची निर्गत की जा रही है, जिसके आधार पर वेतन भुगतान अनुमान्य है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 में वर्णित 18 सफल अभ्यर्थियों को भी खण्ड–2 में उल्लेखित 75 सफल अभ्यर्थियों के अनुरूप समान वेतनमान देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–4 में उत्तर सन्निहित है।

15/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–59/2021 575 राँची, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

सरकार के उप सचिव।

196

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–56

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 100 बड़े उद्योग पिछले 20 वर्षों से संचालित है	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकारी मानक के अनुसार प्रत्येक उद्योग को अपने मुनाफे का 2 प्रतिशत राशि सी०एस०आर०फंड के तहत क्षेत्रीय विकास हेतु व्यय करना है	कम्पनीज एक्ट 2013 की धारा 135 के तहत वैसी कम्पनीज जिनका वार्षिक शुद्ध पूँजीगत निवेश (Annual net worth) रू० 500 करोड़ या अधिक या अधिक हो, वार्षिक आर्वतन (Turn over) रू० 1000 करोड़ या अधिक हो अथवा विगत वित्तीय वर्षों में औसत शुद्ध मुनाफा का 2 प्रतिशत सी०एस०आर० कार्यों हेतु व्यय करने का प्रावधान है।
3.	क्या यह बात सही है कि सी०ए०आर०फंड के नियमानुकूल क्रियान्वयन हेतु राज्य में कोई जाँच समिति नहीं है	झारखण्ड कॉरपोरेट सोशल रिसपौन्सिबिलीटी (झारखण्ड सी० एस० आर० ऑथरिटी की स्थापना) नीति–2020 के तहत सी० एस० आर० फंड के खर्च और गतिविधियों की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में DCSRC (District Level Corporate Social Responsibility Committee) तथा राज्य स्तर पर माननीय मुख्य (उद्योग) मंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी/कार्यकारी परिषद गठित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सी०एस०आर० फण्ड के उचित क्रियान्वयन हेतु एक उच्चस्तरीय समिति बनाने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–16/2021 291 राँची, दिनांक:– 15.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–860 दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.03.2021
सरकार के अवर सचिव

(197)

श्री राज सिन्हा, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 16.03.2021 को पूछित अल्प सूचित प्रश्न संख्या–59 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री राज सिन्हा, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के लिए खेल चुके खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति किये जाने की योजना है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सीधी नियुक्ति दिये जाने की प्रक्रिया 2019–20 में शुरू की गई थी, इस आधार पर कई खिलाड़ियों को इसके लिए अंतिम रूप में चयनित किया गया;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने 2020 में सीधी नियुक्ति के लिए चयनित खिलाड़ियों को एक माह के अंदर ही नियुक्ति दिये जाने की घोषणा की थी जिस पर अब तक अमल नही किया जा सका है;	राज्य में अर्हता प्राप्त 40 (चालीस) खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति किए जाने की अनुशंसा की गई है, जिसमें से 01 (एक) खिलाड़ी को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है तथा अन्य सभी अनुशंसित खिलाड़ियों को विहित प्रक्रियानुसार शीघ्र ही नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस संबंध में कदम उठाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–3 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०– 49/2021 580 / राँची, दिनांक 15-03-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–861/वि०स०, दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

198

श्री सुदेश कुमार महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-16.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-73 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008 में नियुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षक पुरानी पेंशन योजना से वंचित हैं, उनकी सेवा के 12 साल बीत जाने के बाद भी एकेडेमिक ग्रेड पे (एजीपी) में न वृद्धि हुई है और न ही उन्हें प्रोमेशन मिला है, जबकि कई शिक्षक रिटायर हो गए और कईयों की मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सातवें वेतनमान के अनुसार इन शिक्षकों को आवास किराया और चिकित्सा भत्ता भी नहीं मिल रहा, जबकि राज्य कर्मियों को ये भत्ते सातवें वेतनमान के अनुसार प्राप्त हो रहे हैं ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 2008 में नियुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, एजीपी में वृद्धि करने तथा शिक्षकों को प्रोमोशन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2004 के उपरांत नियुक्त विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना विभागीय संकल्प संख्या-1186 दिनांक-10.06.2019 द्वारा लागू किया जा चुका है। यू०जी०सी० विनियम 2010 के आधार पर एकेडेमिक ग्रेड पे० (ए०जी०पी०) में वृद्धि करने एवं शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु परिनियम प्रारूप की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-39/2021HTESD 385 / राँची, दिनांक- 14/03/2021

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-1100 दिनांक-08.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

199

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-16.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-40 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की 2030 स्वीकृत रिक्त पद वर्तमान में खाली है, जबकि वर्ष 2018 में बैकलॉग और नियमित नियुक्ति के लिये 1118 रिक्तियों का विज्ञापन निकाला गया था ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-04/वि०-135/2016/516 दिनांक-02.03.2017 के आलोक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित 900 अनुबंध सहायक प्राध्यापकों का सेवा विस्तार 31 मार्च, 2021 तक दी गई है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को संकल्प संख्या ज्ञापांक-04/वि० 1-135/2016-01 दिनांक-01.01.2021 से हटाकर पुनः उसी तरह आगामी 3 वर्षों के लिए अथवा झारखण्ड लोक सेवा आयोग से नियुक्ति तक घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों के लिए नये विज्ञापन निकाला गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि संकल्प संख्या-01 दिनांक-01.01.2021 के द्वारा घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को संकल्प संख्या-516 दिनांक-02.03.2017 के आलोक में गठित पैनल की अवधि का विस्तार दिनांक-31.03.2021 तक किया गया है एवं तबतक नये पैनल का गठन करने का निदेश दिया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा WP(S) No.-548/2021 के आलोक में अगली सुनवाई तक आगे कार्रवाई करने पर रोक लगाया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 2017-18 से कार्यरत 900 घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों द्वारा निश्चित मानदेय व सामाजिक सुरक्षा के साथ उम्र के 65 वर्षों के आयु तक की नौकरी देने पर विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-23/2021HTESD 384 / राँची, दिनांक- 14/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-387 दिनांक-25.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश चौधरी) 17-3-21
सरकार के अवर सचिव।

200

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-30

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि मीड-डे मील (MDM) के तहत स्कूलों में कार्यरत रसोईयों को न तो प्रतिमाह समय पर मानदेय मिलता है, न ही कोई बीमा है, व मानदेय भी अकुशल श्रमिकों से कम है;	वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक रूप से कार्य करने के इच्छुक सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के सदस्यों में से रसोईया का चयन करते हुए उन्हें विद्यालय कार्य दिवस में किये गये कार्यों के विरूद्ध मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। मानदेय के रूप में एक वर्ष में 10 माह (विद्यालय कार्य दिवस) का मानदेय 1500/- रूपये प्रति माह के दर से एक वर्ष में 15000/- रूपये दिये जाने का प्रावधान है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उनके मानदेय व सुविधा में वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 में वर्णित है। केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् 60:40 अनुपात में राशि मानदेय के रूप में दिया जाता है। मानदेय में 600/- रूपये केन्द्र सरकार देती है तथा राज्य सरकार का अंश 400/- रूपये होता है। परन्तु राज्य सरकार इसके अतिरिक्त 500/- रूपये राज्य निधि से देती है। वर्तमान में राज्य निधि से प्रदान की जाने वाली राशि में 500/- रूपये प्रतिमाह (10 माह हेतु) अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है, जिसकी स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अकुलिह 15/3/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2-49/2021......495....../राँची, दिनांक ..15.03.........2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 103, दिनांक 22.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुलिह 15/3/21
सरकार के अवर सचिव

(201)

591
15/03/2021

श्रीमती ममता देवी, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–58

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड गठन के बाद आज तक राज्य के सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की बहाली नहीं होने से हजारों प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका नहीं मिल पाया,	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची के विज्ञापन संख्या–21/2016 के आलोक में माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के अधियाचित 1624 रिक्त पदों के विरुद्ध अनुशंसित 700 पदों में 668 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत 203 पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षक के पद के विरुद्ध 140 शारीरिक शिक्षक नियुक्त किये गये हैं। राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षक के 93 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 8 शिक्षक कार्यरत हैं।
2	क्या यह बात सही है कि शारीरिक शिक्षकों की बहाली नहीं होने के कारण हजारों बीपीएड डिग्री धारकों की उम्र सीमा समाप्त हो गई एवं वे सरकारी अव्यवस्था के कारण बेरोजगार हो गए;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि प्राथमिक, मध्य उच्च और प्लस टू के पाठ्यक्रमों में शारीरिक शिक्षा विषय का अनिवार्य नहीं होने की वजह से युवाओं की शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है तथा खेल के क्षेत्र में बेहतर कार्य नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शारीरिक साक्षरता/खेल–कूद की ठोस एवं प्रभावी पाठ्य योजना, मासिक पाठ्यक्रम आदि के बेहतर संचालन हेतु शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम एवं खेल–कूद कैलेंडर से संबंधित मार्गदर्शिका–सह–हैंडबुक सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है एवं क्रियान्वयन हेतु शारीरिक साक्षरता/खेल–कूद के एक नोडल शिक्षक को चिन्हित किया गया है, जो संबंधित विषय के नियुक्त शिक्षक अथवा अभिरुचि रखने वाले शिक्षक हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शारीरिक शिक्षकों की बहाली करने तथा प्राथमिक, मध्य, उच्च और प्लस टू के पाठ्यक्रमों में शारीरिक शिक्षा विषय को अनिवार्य बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 3 में उत्तर सन्निहित है।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–49/2021....591.......... राँची, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

202

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में श्री मनीष जायसवाल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16/03/2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0- 22 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय का गठन वर्ष 2011 में की गयी है तथा उक्त विश्वविद्यालय में कुल -92 स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल - 91 पद अब तक रिक्त हैं;	**आंशिक स्वीकारात्मक** वस्तुतः झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 का गठन नवम्बर 2015 एवं इसका संशोधन अधिनियम 2018 का गठन अक्टूबर 2019 में हुआ है।
02	क्या यह बात सही है कि खण्ड -01 में वर्णित विश्वविद्यालय में कुलपति को छोड़ सभी स्वीकृत पदों पर प्रतिनियुक्ति के सहारे सभी अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में किसी प्रकार से पठन- पाठन का कार्य संचालित हो रहा है;	**आंशिक स्वीकारात्मक** विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में कोई भी तकनीकी पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय) संचालित नहीं किया जा रहा है।
03	क्या यह बात सही है कि खण्ड -01 में वर्णित विश्वविद्यालय में सभी रिक्त पदो पर नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण अभियंत्रण की पढ़ाई कर रहे छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है;	**अस्वीकारात्मक** वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा कोई तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा है।
04	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड-01 में वर्णित विश्वविद्यालय में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के अपने **Statutes/Regulation** का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-v.s.prashn-assembly questi-undefined/2021/HTESD/313 /राँची, दिनांक- 08/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञापांक 104** दिनांक **22/02/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

8.3.21

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

204

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री प्रदीप यादव, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-63

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी और घंटी आधारित शिक्षक कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं मॉडल स्कूलों में काम कर रहे हैं.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि लंबे समय से काम करने के कारण कई कर्मीगण नौकरी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा पार कर चुके हैं.	आंशिक स्वीकारात्मक। इन विद्यालयों में शिक्षिकाओं की सेवा लेने हेतु अहर्ता वही है जो राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित है। शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा भी पूर्व से निर्धारित मापदंड एवं अहर्ता के अनुरूप ही संबंधित जिला चयन समिति द्वारा ली जाती है। चयनित अभ्यर्थी निर्धारित सेवा शर्तों पर अपनी सहमति देने के बाद ही संबंधित विद्यालय में अपना योगदान देते है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त कर्मियों को स्थायी बहाली में उम्र सीमा में छूट का लाभ और उनके अनुभव को प्राथमिकता देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना है जिसके लिए प्रति वर्ष बजट की स्वीकृति दी जाती है, जिसमें विद्यालय संचालन की राशि एवं शिक्षिकाओं/शिक्षकेत्तर कर्मियों की परिलब्धि शामिल होती है। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी का चयन जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा किया जाता है। अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षिकाओं की नियुक्ति विद्यालय/जिला स्तर पर आवश्यकता अनुसार सीमित अवधि के लिए लिया जाता है। संविदा एवं घंटी आधारित शिक्षकों की सेवा आवश्यकता आधारित है, जिसके कारण इनके नियमितीकरण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।

अकासिह
15/3/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–42/2021......499....../राँची, **दिनांक ....15.03...2021**

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 958, दिनांक 04.03.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकासिह
15/3/21
सरकार के अवर सचिव

Khursid-7

205

श्री राज सिन्हा, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 16.03.2021 को पूछित अल्प सूचित प्रश्न संख्या–60 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री राज सिन्हा, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के लिए खेल चुके खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, आर्थिक तौर पर कमजोर खिलाड़ियों को खिलाड़ी सहायता कल्याण कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रावधान है;	**स्वीकारात्मक।** विभागीय अधिसूचना सं०–553, दिनांक–17.05.2002 द्वारा राज्य के लिए खेल चुके खिलाड़ियों उदीयमान खिलाड़ियों, राज्य/जिला स्तर के योग्य परन्तु आर्थिक रूप से लाचार खिलाड़ियों और उन पर आश्रितों को खिलाड़ी कल्याण कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है कि सहायता कल्याण कोष से जरूरतमंद होने के बावजूद चुनिंदा खिलाड़ियों को ही इसका लाभ मिल पाया है;	**अस्वीकारात्मक।** जरूरतमंद खिलाड़ियों से आवेदन प्राप्त होने पर खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत सहायता प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता राशि/खेल उपकरण आदि कोष के प्रबंधन एवं संचालन हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर उपलब्ध करायी जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि वैसे खिलाड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट पर खेल विभाग में सेवा दे चुके है या दे रहे खिलाड़ी प्रशिक्षकों को आवश्यकता के बावजूद बेहद सीमित मात्रा में ही सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है, इससे इस कोष का वास्तविक लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर सेवा दे चुके अथवा दे रहे खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों, जो खिलाड़ी कल्याण कोष के प्रावधानों के तहत सहायता प्राप्त करने के योग्य होते है, को उनसे प्राप्त आवेदन के आलोक में सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस कोष से खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने और नियमों का सरलीकरण किये जाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपरोक्त कंडिकाओं में निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०– 50/2021 582 / राँची, दिनांक 15-03-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–862/वि०स०, दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

206

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं० ~~प्र~~-46 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में स्थित विभिन्न जल-प्रपात पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सहुलियत एवं मार्गदर्शन के लिए पर्यटक मित्र वर्ष 2009 से सुचारू रूप से कार्य करते आ रहे है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** वर्ष 2009 में NGO के माध्यम से राज्य के विभिन्न प्रमुख जलप्रपातों में स्थानीय लोगों को स्थलों के साफ-सफाई एवं पर्यटकों के सहुलियत के लिए रखा गया था। कतिपय NGO द्वारा स्थानीय लोगों को नहीं रखने का मामला प्रकाश में आने पर NGO के माध्यम से कार्य बन्द कर दिया गया था। पुनः वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रमुख जलप्रपातों पर साफ-सफाई व स्थल के प्रबंधन कार्य हेतु पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सहयोग से न्यूनतम पारिश्रमिक पर स्थानीय लोगों को रखा गया है जिन्हे पर्यटक मित्र कहा जाता है।
2.	क्या यह बात सही है, कि पर्यटक मित्रों की नियुक्ति, झारखण्ड राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा की गई है;	2.	**स्वीकारात्मक** पर्यटक मित्रों को नियुक्ति नही की गई है तथा नही इस प्रकार का कोई पद सृजित है। प्रमुख जलपातों- हुण्डरू, जोन्हा, दशम, पंचघाघ, सिता व लोध में साफ-सफाई व स्थल के प्रबंधन में सहयोग हेतु ग्राम सभा के माध्यम से चयन करते हुए स्थानीय लोगों को न्यूनतम पारिश्रमिक पर रखा गया है, जिनका पारिश्रमिक राशि का भुगतान विभाग की निधि से झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा किया जाता है तथा इनके कार्यों का पर्यवेक्षण, निदेशन आदि भी झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा किया जाता है।
3.	यदि क्या यह बात सही है कि पर्यटक मित्रों को दैनिक मजदूरी के अलावा जीवन बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआई सहित अन्य सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है;	3.	**आंशिक स्वीकारात्मक** पर्यटक मित्रों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का लाभ दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतायेगी की पर्यटक मित्रों की बेहतरी के लिए उन्हें पीएफ, ईएसआई, जीवन बीमा आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	पर्यटक मित्र न्यूनतम पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करते है। उनके प्रत्येक दिन के कार्यों के आधार पर उनको श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। वे विभाग अथवा झारखण्ड राज्य पर्यटन विकास निगम लि० के नियमित कर्मी नहीं है, अतः इन्हें पीएफ व ईएसआई की सुविधा नहीं दिया जाता है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक-पर्यटन/वि०स०/41/2021 571 /राँची, दिनांक 15-03-2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-407/वि०स०, दिनांक-25/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

Jharkhand tourism

207

579
15/03/2021

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–62
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मदरसा में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को विज्ञान, अंग्रेजी, गणित एवं अन्य विषयों का विशेष ज्ञान प्राप्त हो, इस हेतु *SPQEM/SPEMM* के तहत् उपर्युक्त विषयों के शिक्षकों को मानदेय पर मदरसों में रखा गया है;	स्वीकारात्मक। पारम्परिक शिक्षा संस्थानों जैसे – मदरसा एवं मकतब को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए इनमें औपचारिक पाठ्यक्रम के विषयों यथा– विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि के अध्यापन को प्रोत्साहित करने एवं गुणवत्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा *SPQEM/SPEMM (Central Sponsored Scheme for Providing Quality Education in Madarsa)* योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत् उपर्युक्त विषय के पूर्णकालिक स्नातक शिक्षक को प्रति माह रु० 6000/– एवं पूर्णकालिक स्नातकोत्तर शिक्षक/बी०एड० को प्रति माह रु० 12000/– एकमुश्त मानदेय प्रदान किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि मदरसों में इन विषयों के कार्यरत शिक्षकों का मानदेय का भुगतान विगत 6 वर्षों से विभाग के उदासीनता के कारण नहीं हो पाया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2014–15 में *SPQEM (Central Sponsored Scheme for Providing Quality Education in Madarsa)* एवं *IDMI (Infrastructure Development of Minority Institutes)* को *SPEMM (Scheme for Education of Madarasas & Minorities)* योजना में पुनर्गठित किया गया है, जो शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के बाद इस योजना के तहत् भारत सरकार द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण शिक्षको को मानदेय का भुगतान नहीं हो सका। विभागीय पत्रांक 379 दिनांक 19.02.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लिये इस योजना के तहत् 88 मदरसों के 179 कार्यरत शिक्षकों हेतु रुपया 566.28 लाख की मांग भारत सरकार से की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि इस कारण ये शिक्षक आर्थिक तंगी एवं भूखमरी के कगार पर है;	कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–48/2021 579 राँची, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

208

581
15/03/2021

श्री उमाशंकर अकेला, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–74 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के लिए नियुक्ति संबंधी अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्राप्त है एवं *P.R.T.* अधियाचित 06 विषयों के वेरीफिकेशन का कार्य झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने किया है।;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2016 के अन्तर्गत कुल–11 गैर अनुसूचित जिलों के इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक के रिक्ति के विरूद्ध झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित कर कुल 690 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है। *P.R.T.* अधियाचित 06 विषयों की अनुशंसा विभाग को आज की तिथि तक अप्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है कि गैर अनुसूचित जिलों के *T.G.T.* अनुशंसित अभ्यर्थियों की अंतिम परीक्षाफल एवं नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित है;	स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1044 दिनांक 18.02.2021 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों के परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए विभागीय पत्रांक 5974 दिनांक 23.11.2020 को आहरित किया गया है, जिसके द्वारा पूर्व में गैर अनुसूचित जिले में अनुशंसित नियुक्ति की प्रक्रिया संपादित किये जाने का आदेश दिया गया था।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गैर अनुसूचित जिलों के *T.G.T.* अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–68/2021 581 रांची, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

209

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–48 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि वन प्राणियों द्वारा मानवों की हत्या किये जाने पर सरकार द्वारा चार लाख रूपये की राशि आश्रित परिवारों को दिये जाने का प्रावधान है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। ''हत्या'' एक विशिष्ट शब्द है, जो सिर्फ मानवों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। वन्यप्राणी हत्या नहीं करते हैं। मानव–वन्यप्राणी द्वन्द में यदा–कदा मानवों की मृत्यु होती है।
2– क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में मृतक के परिवारों को दिये जा रहे अनुदान राशि जो बहुत ही कम है जिससे प्रभावित परिवारों का समुचित गुजारा सम्भव नहीं हो पाता है ;	मानव–वन्यप्राणी द्वन्द में मृत्यु की घटना एक दुर्घटना है, जिसके लिये राज्य सरकार ने इस अनुदान की व्यवस्था तत्कालिक सहायता के रूप में किया है।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वन प्राणियों द्वारा मारे गए परिवारों के आश्रितों को कम से कम दस लाख रूपये मुआवजा राशि भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–32/2021–954 व0प0, राँची, दिनांक–14/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–635 दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14-3-21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

F/VIDHAN SABHA-2021 (Ashish)

210

577
15/03/2021

श्री बंधु तिर्की, सo विo सo से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अoसूo–18

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गैरसरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारम्भिक मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षाकर्मियों के लिए सेवा शर्त्त एवं नियुक्ति नियमावली का गठन किया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के ज्ञापांक 1945 दिनांक 11.12.2018 के द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिये नियुक्ति नियमावली बनाने हेतु समिति का गठन किया गया है। नियमावली गठन की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग का पत्रांक–1112 दिनांक 08.02.2016 के दिनांक 01.01.2016 से राज्य में प्रभावी होने के पश्चात् निदेशालीय पत्रांक–416 दिनांक 08.03.2018 के द्वारा 71 (एकहत्तर), पत्रांक–2334 दिनांक 21.08.2018 के द्वारा 16 (सोलह) और पत्रांक–3093 दिनांक 12.11.2018 के द्वारा 25 (पच्चीस), कुल–112 (एक सौ बारह) नवनियुक्त शिक्षक– शिक्षिकाओं, नवनियुक्त/प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा निदेशालीय पत्रांक 718 दिनांक 16.04.2020 के द्वारा 18 (अठारह) और पत्रांक 739 दिनांक 27.04.2020 के द्वारा 108 (एक सौ आठ), कुल–126 (एक सौ छब्बीस) नवनियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं, नवनियुक्त/ प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति अनुमोदन के प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक– 1112 दिनांक 08.02.2016 द्वारा कनीय स्तर के पदों यथा समूह "ख", समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिसके प्रतिकूल इस मामले में साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा लेकर अभ्यर्थियों के अंतिम चयन में उसके अंकों को जोड़ा गया है। फलतः गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्प संख्यक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को वापस लौटाया गया है। इस संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का परामर्श लिया गया है। उक्त विभाग ने उपरोक्त परिपत्र के प्रावधानों को इन नियुक्तियों में भी लागू होना बताया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 में वर्णित प्रस्ताव को पुनः अनुमोदित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका–3 में सन्निहित है।

15/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–07 / 2021 577 रांची, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

सरकार के उप सचिव।

211

श्री सरयू राय, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–44

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि दिनांक–31.03.2020 को परिसमाप्त लौह–अयस्क पट्टों के स्टॉक यार्ड में लौह–अयस्क की काफी मात्रा पड़ी हुई है, जिसे उठाकर बेचने के लिए पट्टेधारियों ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। 31.03.2020 के उपरांत पूर्व लौह अयस्क पट्टेधारियों द्वारा स्टॉक में पड़े लौह अयस्क के उठाव की अनुमति माँगी गई है। The Minerals (Other Than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 एवं Mineral Conservation and Development Rules, 2017 तथा खनन पट्टा विलेख में वर्णित शर्तों एवं बंधेजों के आलोक में प्रकियाधीन है। पूर्व पट्टेधारियों द्वारा शर्तों एवं बंधेजों का अनुपालन के आलोक में अनुमति प्रदान की जा रही है, जिनके द्वारा The Minerals (Other Than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 एवं Mineral Conservation and Development Rules, 2017 के अंतर्गत शर्तों एवं बंधेजों का अनुपालन नहीं किया गया है, उन्हें अनुमति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।
2-	क्या यह बात सही है, कि दिनांक–31.03.2020 तक विभिन्न पट्टेधारियों के पास लौह–अयस्क का कितना भंडार पड़ा हुआ है, इसका आकलन सरकार ने नहीं किया है,	उत्तर अस्वीकारात्मक है। जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा खनिज के स्टॉक का प्रेषण के समय आवश्यक Quality एंव Quantity का आकलन एवं निर्धारण करने के पश्चात ही प्रेषण की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान है।
3-	क्या यह बात सही है, कि सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग ने मेसर्स शाह ब्रदर्स को उनके स्टॉक में पड़े लौह–अयस्क को बेचने का अनुमति दे दिया है, जबकि उनके स्टॉक का सत्यापन नहीं हुआ है,	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) NO.- 2567/2020 में पारित आदेश दिनांक–01.10.2020 के अंतर्गत विभाग द्वारा संपन्न सुनवाई एवं The Minerals (Other Than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 एवं Mineral Conservation and Development Rules, 2017 के शर्तों, बंधेजों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है।
4-	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रद्द/परिसमाप्त लौह–अयस्क पट्टेधारियों की खदानों में ग्रेड के अनुसार कितनी मात्रा में लौह–अयस्क पड़ा हुआ है तथा उनकी मात्रा का सत्यापन सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार करने एवं उन्हें बेचने की नीलामी प्रक्रिया सरकार अपनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ0सू0)–31/2021-259 /एम0, राँची, दिनांक– 15/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–401 दिनांक–25.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/2021
सरकार के उप सचिव

212

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स० वि० स० द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–71

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क०सं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि सी०सी०एल० आदि प्रतिष्ठानों द्वारा सी०एस०आर० मद प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आवागमन, पेयजल इत्यादि सुविधा उपलब्ध करायी जाती है;	सी०सी०एल० द्वारा सी०एस०आर० मद से सी०सी०एल० के परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। यह कार्य मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, कौशल विकास इत्यादि से संबंधित होते हैं।
2-	क्या यह बात सही है, कि सी०एस०आर० मद की राशि का व्यय स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मजदूर नेताओं एवं पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में किये जाने का प्रावधान है;	कंपनी के सी०एस०आर० नीति के अनुसार सी०एस०आर० के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों का चयन परियोजना प्रभावित लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अतः सी०सी०एल० के क्षेत्रों द्वारा स्थानीय स्तर पर बैठक की जाती है, जिसमें विभिन्न स्थानीय जन प्रतिनिधियों, मुखिया, मजदूर नेताओं, ग्रामीणों एवं पदाधिकारियों के सुझाव ली जाती है। इसके अलावा जिला अधिकारियों से भी विचार विमर्श की जाती है। विभिन्न प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए सुझावों एवं अनुरोधों पर विचार करने के पश्चात सी०एस०आर० गतिविधियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाता है, जिसके तहत सी०एस०आर० मद की राशि का व्यय किया जाता है।
3-	क्या यह बात सही है, कि स्थानीय प्रबंधन द्वारा संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के नाम पर मुखिया, सरपंच एवं कुछ मजदूर नेताओं की बैठक में खानापूर्ति कर मनमाने ढंग से राशि का व्यय कर दिया जाता है, तथा स्थानीय सांसद एवं विधायकों की अनुशंसा नहीं ली जाती है, जो सम्पूर्ण क्षेत्र में जनसमस्याओं से अवगत होते है;	विगत वर्षों में स्थानीय सांसद एवं विधायकों द्वारा दिए गए अनुरोधों के आधार पर सी०सी०एल० द्वारा अपने कमांड क्षेत्रों में कई सी०एस०आर० पहल की गई है। इसके अलावा वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रारंभ की गई TADP कार्यक्रम के अंतर्गत सी०सी०एल० जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के साथ मिलकर कई विकास संबंधी परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य सी०सी०एल० कमांड क्षेत्रों के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना है।
4-	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सी०एस०आर० मद की राशि से चयन की जाने वाली योजनाओं में सांसद, विधायकों की अनुशंसा सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पिछले वर्षों की तरह सी०सी०एल० स्थानीय निवासियों की आवश्यकता के आधार पर सी०एस०आर० पहल करना सुनिश्चित करेगा। साथ ही सी०सी०एल० सी०एस०आर० नीति को ध्यान में रखते हुए सी०एस०आर० कार्यकलापों का चयन के लिए स्थानीय जन प्रतिनिधियों/मुखिया/सांसद एवं विधायकों के सुझावों और अनुरोधों को उचित प्राथमिकता दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ०सू०)–51/2021 752 /एम०, राँची, दिनांक– 15/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1082 दिनांक–08.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/2021

सरकार के उप सचिव

213

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–75

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की इकाई हाई टेंशन इनसुलेटर फैक्टरी, नामकुम, राँची के 25 एकड़ भूमि को लीज एग्रीमेंट पर श्रीराम इलेक्ट्रो पावर्स प्राइवेट लिमिटेड को 33 वर्षो के लिए दिया गया है;	स्वीकारात्मक। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा हाई टेंशन इनसुलेटर फैक्टरी, नामकुम, राँची की 25 एकड़ भूमि श्रीराम इलेक्ट्रो पावर्स प्रा0 लि0 को 33 वर्षों की अवधि हेतु रैंटल लीज पर उपलब्ध कराया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त निजी कम्पनी श्रीराम इलेक्ट्रो पार्व प्राइवेट लिमिटेड ने 25 एकड़ के बदले 29 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है;	यह मामला बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से संबंधित है।
3.	क्या यह बात सही है कि हाई टेंशन इन्सुेटर फैक्टरी नामकुम, राँची के प्रबंधन की मिली भगत से श्रीराम इलेक्ट्रो पार्व प्राइवेट लिमिटेड को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है;	यह मामला बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से संबंधित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–21 / 2021 292 राँची, दिनांक:– 15.03.2021
प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1102 दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.03.2021
सरकार के अवर सचिव